

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000112010

दांडिक प्रकरण क.-450 / 10

संस्थापित दिनांक-27.10.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । .....अभियोजन	
विरुद्ध	
01-मेलन सिंह पुत्र धरम सिंह लोधी उम्र 30 साल निवासी ग्राम नयाखेडा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 । .....आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	:- श्री मिर्जा अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत आबकारी अधिनियम की धारा 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है ।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रामसिंह परिहार ने दिनांक 26.07.10 को आरक्षी केन्द्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट

लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को दौरान ए गश्त इलाका जरिये मुखबिर ग्राम नयाखेडा में सूचना प्राप्त हुई कि मेलन लोधी उसके चबूतरे पर कच्ची शराब बेच रहा है। मुखविर की सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के मेलन के घर के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति चबूतरा पर प्लास्टिक की केन लिए बैठा दिखा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा एवं नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम मेलन पुत्र धरम सिंह लोधी नयाखेडा का बताया। केन देखी व सूंघी एवं साक्षियों को सुंघायी केन में करीब 4 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई गई। आरोपी से शराब रखने, बेचने का लायसेंस चाहा तो उसने न होना बताया। आरोपी के कब्जे से समक्ष पंचान शराब केन जप्त की एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया, एवं जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 271/10 के अंतर्गत आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 26.07.10 को 18.00 बजे ग्राम नयाखेडा में अपने घर के बाहर चबूतरा पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में कच्ची शराब 04 लीटर विक्रय करने के आशय से पाये गये ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 जोत सिंह, अ.सा. 02 केदार शर्मा, अ.सा. 03 संजय सिंह वर्मा, अ.सा. 04 रामदास, अ.सा. 05 रामसिंह की

मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 केदार शर्मा ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से घटना दिनांक को चार लीटर शराब पकड़ी थी। अ.सा. 02 के अनुसार जप्ती पत्रक प्रपी 01 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त साक्षी ने उसके समक्ष आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफ्तार किया था। अ.सा. 05 रामसिंह जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसे मुखविर से सूचना मिली थी कि आरोपी चबूतरे के पास अवैध शराब बेच रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार वह जोतसिंह एवं केदार शर्मा के साथ मुखविर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा जहां पर आरोपी के पास केन में शराब मिली थी जो अवैध होने से पंचों के समक्ष प्रपी 01 के अनुसार जप्त की गई थी तथा आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। अ.सा. 05 के अनुसार सान्हा वापसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रपी 06 के अनुसार रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी तथा जप्तशुदा शराब जांच हेतु भेजी गई थी। उक्त साक्षी ने प्रकरण में वापसी सान्हा प्रपी 07 प्रस्तुत किया है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

08— अ.सा. 02 के अनुसार उसके साथ जोतसिंह भी थे तथा केन उसके सामने जप्त की थी। अ.सा. 02 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि चार लीटर शराब जप्त की गई थी तथा जैसे ही वे लोग मौके पर पहुंचे थे तो पुलिस को देखकर शराब खरीदने वाले लोग भाग गए थे। अ.सा. 04 रामदास द्वारा प्रकरण में असल कायमी प्रपी 05 किया जाना भी बताया है। अ.सा. 01 जोतसिंह पक्षद्रोही हो गया है तथा अभियोजन द्वारा पूछे गए सूचक प्रश्नों को उसने इंकार किया है। अ.सा. 03 संजय वर्मा ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में दिनांक 26.07.10 को जप्तशुदा तरल पदार्थ की जांच की गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रपी 04 है और उक्त रिपोर्ट के अनुसार जप्तशुदा तरल पदार्थ हाथ भट्टी की मदिरा होना पाया गया था।

09— अभियोजन की ओर से अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अ.सा. 03 ने अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि उक्त घटना दिनांक को जप्तशुदा पदार्थ देशी मदिरा थी। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 05 की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास से देशी मदिरा जप्त की गई थी। अ.सा. 05 जो कि मामले का विवेचक है उसके द्वारा प्रकरण में उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास से देशी मदिरा प्रपी 01 के अनुसार जप्त किया जाना बताया गया है। उक्त साक्षी का अनुसमर्थन अ.सा. 02 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा. 05 के अनुसार उसे उक्त घटना दिनांक को मुखविर से सूचना मिली थी कि आरोपी देशी मदिरा बेच रहा है। उक्त तथ्य प्रपी 07 के वापिसी सान्हा से प्रमाणित हो रहा है। प्रपी 07 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास से अवैध मदिरा जप्त की गई थी। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के कथनों में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला बनाया गया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास अवैध मदिरा जप्त की गई थी।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण शमन विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक दंड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उसे इस तथ्य का बोध दे कि अवैध मदिरा रखना दंडनीय अपराध है। इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड प्रकरण में

संलग्न नहीं है तथा आरोपी आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति नहीं है। आरोपी की आयु लगभग 30 वर्ष है तथा यदि उसे कारागार के दंडादेश से दंडित किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके भविष्य पर पड़ने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को मात्र अर्थदंड से दंडित करना समीचीन प्रतीत होता है। अतः आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के आरोप में 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 07 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की सफेद रंग की केन जिसमें करीब चार लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमती 200 रुपये मूल्यहीन होने से अपीलवाधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)